प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

सेवा में

रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्व विधालय,
लखनऊ।

पत्रांक: मा0शि0प0/साख्यिकी/ 654 दिनांक 18-7-2010

विषय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग 11 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 220/15.11.2010 लखनऊ दिनांक 30 जून 2010, राजाज्ञा 2179 दिनांक 01.07.10 द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित मेधावी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति के वितरण तथा समुचित कियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि आप अपने अधीनस्थ संस्थानों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वर्ष 2010 की इण्टर परीक्षा में उत्तीर्ण अर्ह छात्र जो उनके संस्थान में अध्ययनरत है वे अपने आवेदन पत्र उच्च शिक्षण संस्थान से अग्रसारित कराकर एक शपथ पत्र, जिसमें किसी प्रकार की छात्रवृत्ति के पाने अथवा न पाने का स्पष्ट उल्लेख हो के साथ अविलम्ब माध्यमिक शिक्षा परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करादें।

उक्त के सम्बन्ध मे छात्रवृत्ति से सम्बन्धित दिशानिर्देश सूचनार्थ संलग्न है।

संलग्नक

Sri Nigam

4606

भवदीय,

(श्रीमती [signature] 18-8-10)
सचिव।

Reg 21/8/10

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा अनुभाग–11

संख्या–220 / 15–11–2010

लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2010

कार्यालय ज्ञाप

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के मेघावी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना प्रारम्भ की गई। छात्रवृत्ति योजना के संचालन हेतु भारत सरकार से समन्वय स्थापित करने एवं आ रही समस्याओं के निराकरण करने हेतु कुलपति, उ0प्र0 प्राविधिक विश्व विद्यालय की अध्यक्षता में निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है:–

(1)	कुलपति उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
(2)	निदेशक,उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद	सदस्य
(3)	निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय (शिविर कार्यालय) पार्क रोड, लखनऊ	सदस्य
(4)	निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
(5)	सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 इलाहाबाद	संयोजक सदस्य

उक्त समिति यथा आवश्यकता अपनी सुविधानुसार बैठकें आयोजित करेंगी।

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) प्रमुख सचिव, प्रावधिक शिक्षा।
(2) संबंधित सदस्य
(3) प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा।
(4) सचिव, उच्च शिक्षा।
(5) विशेष सचिव, श्री राज्यपाल।

आज्ञा से,

(रूद्र कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव।

(... मोहन)
... निदेशक (माध्यमिक)

आवश्यक निर्देश

1– आवेदन पत्रों को परिषद् कार्यालय में अनिवार्य रूप से अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक प्रेषित कर दें, विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार कर पाना सम्भव न होगा।

2– इण्टरमीडिएट शिक्षा संस्थानों से अग्रसारित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा अतः फोटो तथा आवेदन पत्र अध्ययनरत उच्चशिक्षा संस्थान से ही अग्रसारित करा कर भेजे जायँ।

3– आय शपथ पत्र MHRD के प्रारूप पर ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

4– छात्र जिन उच्चशिक्षा संस्थानों में डिग्री शिक्षा के उपार्जन हेतु प्रवेश लिए हैं वहाँ के संस्थाध्यक्ष द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने अथवा न प्राप्त करने की स्पष्ट आख्या आवेदन पत्र पर ही अंकित किया जाय। **इस सन्दर्भ में प्रत्येक छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने अथवा न प्राप्त करने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा।**

5– छात्र अपनी आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र केन्द्र द्वारा निर्धारित आरक्षण श्रेणी के अनुसार संलग्न करें।

6 उच्चशिक्षा संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा छात्र के संस्थान में प्रवेश की तिथि का अंकन आवेदन पत्र पर किया जाना अनिवार्य है।

7– बैंक विवरण में कोड संख्या तथा IFSC कोड लिखना अनिवार्य है।

8– अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार/पत्राचार नही किया जायेगा।

9– वर्ष 2008 तथा वर्ष 2009 के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित संस्थाएँ यथाशीघ्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएँ/विवरण मांध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध करायें, जिससे कि छात्रवृत्ति का नवीनीकरण /भुगतान हेतु MHRD को अवगत कराया जा सके।

10– MHRD की उक्त योजना के सन्दर्भ में गाइड लाइन्स, आवेदन पत्र का प्रारूप तथा छात्रवृत्ति के सन्दर्भ में आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेब साइट www.upmsp.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

अतः छात्रों को निर्देशित कर दें कि उनकी अर्हता पर विचार तभी सम्भव होगा जब कि वे अपना आवेदन पत्र सभी विवरणों के साथ पूर्ण कर उच्च शिक्षण संस्थान के संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कराकर निर्धारित तिथि तक बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध करा देंगे।